राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हेमराज बनाम मुकेश

तारीख हुक्म	746/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/10/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली अधिवक्ता रेस्पो. की बहस हेतु दिनांक 20/11/2025 को पेश हो।	
20/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो।	
01/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/04/2012 पारित करते हुए तहसीलदार कोटपूतली को आराजी खसरा नम्बर 363/0.37, 365/0.57 कुल किता 2 कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर वाके मौजा पूतली तहसील कोटपूतली के मौके पर जाकर सभी रिकार्डेड सहखातेदारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार रिकार्डेड खातेदारान के बीच प्रस्तावित बंटवारानामा तैयार कर लगान का निर्धारण करके मय नक्शा तैयार कर कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08/08/2017 पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील से कुर्रेजात प्राप्त होने के उपरान्त उस पर प्रस्तुत की गयी आपत्तियो का संज्ञान लेते हुये पुन: कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गयी, जिसकी अनुपालना में तहसीलदार द्वारा प्रेषित द्वितीय कुर्रेजात रिपोर्ट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर मौजूद है एवं द्वितीय कुर्रेजात के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा सरसरी तौर पर ही आपत्ति बाबत कुर्रेजात प्रस्तुत कर पुन: प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को निरस्त करने की ईस्तदुआ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की गयी	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हेमराज बनाम मुकेश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	थी, जिसे ख़ारिज करते हुए मुताबिक कुर्रेजात अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटी कारित किया जाना स्पष्ट नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08/08/2017 न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	